



झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची

शुद्धि—पत्र

मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित सभी मान्यता प्राप्त प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2014-15 हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना कार्यालय के पत्रांक 2270 दिनांक 31.12.2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी। जिसमें आवश्यक संशोधनोपरान्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पुनः प्रकाशित की जा रही है जो निम्नप्रकार है :-

1	आवेदन पत्र :	आवेदन प्रपत्र URL-ekalyan.cgg.gov.in में उपलब्ध है। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करना है एवं आवेदन के पश्चात् हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) पर आवेदक द्वारा पूर्ण पता सहित हस्ताक्षर एवं अभिभावक का हस्ताक्षर करने के बाद सभी सभी वांछित प्रमाण-पत्रों सहित कलर स्कैन (Size 150kb तक सिर्फ JPG format में) कर user id and password के माध्यम से अपलोड किया जाना है। नोट : ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय में नहीं भेजना है। ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण एवं हेल्प फाईल वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
2.	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि:	दिनांक 31.01.2015 अपराह्न 5.00 बजे तक।
	हार्ड कॉपी अपलोड करने की अंतिम तिथि:	दिनांक 10.02.2015 अपराह्न 5.00 बजे तक।
3.	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया:	➤ Address bar पर ekalyan.cgg.gov.in टाईप करें। ➤ Page खुलने के पश्चात् student registration में click करें। ➤ Scholarship Registration के Register/Sign up में Click करें। ➤ आवेदक student Login Registration Form में Full Name (as per Matric/10th) के अनुसार सभी Information भरें। नोट : ये ध्यान देने योग्य बात है कि आवेदक द्वारा भरा गया Name, Father's Name और Date of Birth Application Form में दिखाई देगा, उनको आवेदक Edit नहीं कर सकते हैं। जिन आवेदक का Email Id या Mobile No. है वे अगर चाहे तो Information दे सकते हैं अन्यथा ये अनिवार्य नहीं है। Password आवेदक के Email Id या Mobile पर भेजा जायेगा। ➤ आवेदक Login Registration for के Post Matric (Fresh) Option Button को Select करें। ➤ आवेदक स्वयं से Password generate करें, तथा भविष्य के

		प्रयोजन हेतु याद रखेंगे। ➤ आवेदक Password Type करें। ➤ Confirm Password Type करें। ➤ Create account में click करें। ➤ आवेदक का Login Registration complete हो जायेगा एवं Screen पर user Id एवं Password दिखलाई देगा। ➤ Sign In में Click करें। ➤ आवेदक Student/Login Name, या Email या Mobile तीनों में किसी एक के द्वारा Password के साथ Sign In में Click करें। ➤ आवेदक Applying for में अगर वे राज्य के अंदर स्थित संस्थान में अध्ययनरत है तो Post Matric (within the state) को select करें तथा वे राज्य के बाहर स्थित संस्थान में अध्ययनरत है तो Post Matric (Out side the State) को select करें। ➤ Online आवेदन भरें। ➤ आवेदक फोटो समेत वांछित प्रमाण-पत्रों को अपलोड कर submit में Click करें। नोट : आवेदक वांछित प्रमाण-पत्रों को हार्ड कॉपी अपलोड करने की अंतिम तिथि तक User Id और Password के द्वारा upload कर सकते हैं। ➤ Confirmation के लिए ok में Click करें। ➤ Print करें। ➤ आवेदक हार्डकॉपी (प्रिन्ट आउट) पर हस्ताक्षर पूर्ण Address के साथ एवं अभिभावक का हस्ताक्षर करे। ➤ आवेदक ekalyan.cgg.gov.in में User Id एवं Password के द्वारा Login करे। ➤ Post Matric Fresh application (2014-15) upload document के upload document online में Click करें। ➤ हार्डकॉपी (प्रिन्ट आउट) को कलर स्कैन कर upload document में अपलोड करे तत्पश्चात् submit button में Click करें। ➤ आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
4		निम्नांकित कागजात मूल रूप में कलर स्कैन (size - 150 Kb तक Only jpg format में) कर User ID and Password के माध्यम से अपलोड किया जाना है :- <u>नवीन (New) आवेदन के लिए</u> (i) आवासीय प्रमाण-पत्र (Residential Certificate) (अंचलाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त स्तर से निर्गत) (ii) जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) (अंचलाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत)। (iii) आय प्रमाण-पत्र (Income Certificate) मूल रूप में (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत)। (iv) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान के निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत बONAFAID सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate)

		(v) अंक पत्र (Mark Sheet) पिछले परीक्षा का। (vi) Student Bank Account Passbook का प्रथम पृष्ठ (जहाँ छात्र का लेखा विवरणी अंकित हो) (vii) ऑनलाईन आवेदन का हस्ताक्षरित प्रथम पृष्ठ।
5	संस्थान प्रधान का दायित्व :	(I) संस्थान अपना पूर्ण विवरण के साथ मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र upload करेंगे। नोट : राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों की संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके Email Id पर User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय संस्थान Course Mapping करेंगे जो Post Matric (within the State) में Student Application Form दिखालाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान को Course Mapping करने की आवश्यकता नहीं है। (II) छात्र/छात्रा के छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष 2014-15 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का बONAFAIDE सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate) निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत करेंगे। (III) संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन को User Id एवं Password के माध्यम से Online सत्यापित करेंगे।
6	हेल्प लाईन :	आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो E-mail Address- helpdeskekalyan@gmail.com पर email कर सकते हैं।
7	अन्यान्य :	- उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हो सकेगी। - छात्र/छात्रा अपना आधार संख्या/आधार इनरॉलमेंट संख्या तथा लेखा विवरणी सही होना अत्यन्त आवश्यक है। गलत होने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायगा। (आधार संख्या अनिवार्य नहीं है)। - एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा। - इस छात्रवृत्ति को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करेगा। - आवेदन पत्र में त्रुटि/अशुद्धि/ओवर राइटिंग करने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

आदिवासी कल्याण आयुक्त